न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रमांक—66ए / 2013 संस्थापन दिनांक—10.12.2013

नैनसिंह पिता हीरालाल, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सीताडोंगरी, तहसील परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

वादी

विरुद्ध

1—कचरीबाई बेवा हीरालाल, उम्र 70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सीताडोंगरी, तहसील परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—चैनसिंह पिता हीरालाल, उम्र 43 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सीताडोंगरी, तहसील परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—धनसिंह पिता हीरालाल, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सीताडोंगरी, तहसील परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—िकसनिसंह पिता हीरालाल, उम्र 45 वर्ष, जाति गांड, निवासी—सीताडोंगरी, तहसील परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—श्रीमित तपस्वी मेरावी पित दुलमिसंह, उम्र नामालूम, जाति गोंड, निवासी—ग्राम खजरा हाल मुकाम—नरसिंगटोला, बैहर तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—म.प्र.शासन तर्फे कलेक्टर महोदय, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)

<u>प्रतिवादीगण</u>

-:// <u>राजीनामा आदेश</u> //:-(<u>आज दिनांक-18/07/2014 को पारित)</u>

- 1— इस आदेश द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— उभयपक्ष ने उक्त आवेदन पत्र में निवेदन किया है कि विवादित भूमि मौजा सीताडोंगरी प.इ.नं. 12/38 रा.नि.मं. मझगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 558/2/1 रकबा 0.138 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 553/3/1 रकबा 0.749 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 539/4/1 रकबा 0.036 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 577/18/1 रकबा 0.134 हेक्टेयर कुल रकबा 2.88 एकड़ भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 से 5 का आपसी राजीनामा स्वैच्छया पूर्वक हो गया है। उक्त राजीनामा के आधार पर उभयपक्ष आज्ञप्ति चाहते है।
- 3— प्रकरण में राजीनामा आवेदन के समर्थन में साक्षी नैनसिंह (साक्षी कं.1), कचरीबाई (साक्षी क्रमांक—2), चैनसिंह (साक्षी क्रमांक—.3), धनसिंह(साक्षी क्रमांक—4), किसनसिंह (साक्षी क्रमांक—5) एवं सरस्वती (साक्षी क्रमांक—6) के राजीनामा कथन लेखबद्ध किये गये।
- 4— उभयपक्ष ने प्रस्तुत राजीनामा स्वैच्छापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के किया जाना प्रकट किया है। विवादित भूमि पर उभयपक्ष का पैतृक सम्पत्ति के आधार पर हक होना प्रकट होता है। राजीनामा में विवादित भूमि से हितबद्ध सभी पक्षकारगण ने अपनी सहमति व्यक्त की है। अतएव राजीनामा स्वीकार किये जाने में विधिक बाधा प्रकट नहीं होती। अतएव राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
 - (1) मौजा सीताडोंगरी प.ह.नं. 12/38 रा.नि.मं. मझगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 558/2/1 रकबा 0.138 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 553/3/1 रकबा 0.749 हेक्टेयर, खसरा नम्बर

539/4/1 रकबा 0.036 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 577/18/1 रकबा 0.134 हेक्टेयर कुल रकबा 2.88 एकड पर वादी को एकमात्र स्वत्व प्राप्त है।

- (2) विवादित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को प्रदान किया जावे।
- (3) विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक—1 का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज करने हेतु पक्षकारगण् स्वतंत्र रहेंगे।
- (4) विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 से 5 के द्वारा वादी के आधिपत्य में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगें।
- (5) उभयपक्ष अपना—अपना वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे। राजीनामा आवेदन आज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जावे, जो आज्ञप्ति का भाग समझा जावेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर